मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल के आदेशों के अनुरुप, पालतू श्वानपशुओं के अनुज्ञाकरण एवं नियमन हेतु प्रस्तावित नियमावली का आलेख

Proposed Draft Rules for Licensing & Regulation of Pedigreed Pet Dogs, in compliance to orders from Hon'ble Nainital High Court

मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल के आदेशों के अनुरुप पालतू श्वानपशुओं के अनिवार्य अनुज्ञाकरण आदर्श नियमावली के सृजन हेतु विभिन्न कानूनी प्राविधानों, मा० उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली मा० उच्च न्यायालयों द्वारा निर्गत विभिन्न मार्गदर्शी निर्णयों की सन्दर्भ सूची (Reference List) :–

Reference	विषय प्रस्तावित आदर्श नियमावली	पृष्ठ सं०
Reference-1	मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा जनहित याचिका संख्या 84/17 (गिरीश चन्द्र खोलिया बनाम उत्तराखण्ड सरकार) पर दिनांक 14 जून, 2018 को निर्गत अन्तरिम आदेश	
Reference-2	दिनांक 02 जुलाई 2018 को मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में आहूत बैठक के कार्यवृत (बिन्दु संख्या–4)	
Reference-3	मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन स्तर से निर्गत शासनादेश संख्या 560/XV-1/18/4(20)/2017 पशुपालन अनुभाग–1 दिनांक 17 जुलाई, 2018	
Reference-4	दिनांक 08 फरवरी, 2019 को सचिव शहरी विकास, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में आहूत प्रान्तीय श्वानपशु बन्ध्यकरण एवं अनुश्रवण समिति की बैठक के कार्यवृत्त (बिन्दु संख्या–5)	
Reference-5	दिनांक 04 सितम्बर, 2020 को सचिव शहरी विकास, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में आहूत प्रान्तीय श्वानपशु बन्ध्यकरण एवं अनुश्रवण समिति की बैठक के कार्यवृत्त (बिन्दु संख्या–8)	
Reference-6	भारत सरकार द्वारा प्राख्यापित, पशु क्रूरता निवारण, श्वानपशु प्रजनन एवं विपणन नियम, 2017 (Prevention of Cruelty to Animals, Dog Breeding and Marketing Rules, 2017)	
Reference-7	भारत सरकार द्वारा प्राख्यापित, पशु क्रूरता निवारण, पालतूपशु दुकान नियम, 2018 (Prevention of Cruelty to Animals, Pet Shop Rules, 2018)	
Reference-8	भारत सरकार द्वारा प्राख्यापित, पशु क्रूरता निवारण, केस विषयक पशुओं की देखरेख एवं भरण–पोषण नियम, 2017 (Prevention of Cruelty to Animals, Care & Maintenance of Case Property Animals Rules, 2017	
Reference-9	भारत सरकार द्वारा प्राख्यापित, पशु जन्म नियंत्रण (श्वानपशु) नियम, 2001 (Animals Birth Control (Dog) Rules, 2001	
Reference-10	पीड़ाविहीन रीति से दयामृत्यु दिये जाने के क्रम में भारतीय जीव–जन्तु कल्याण बोर्ड की मार्गदर्शिका (Euthanasia Guidelines from AWBI)	

Reference	विषय	पृष्ठ सं०
Reference -11A	पशु जन्म नियंत्रण (श्वानपशु) नियम, 2001 (Animals Birth Control (Dog) Rules, 2001 के अनुरुप श्वानपशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम संचालित किये जाने के क्रम में मा० उच्चतम न्यायालय तथा मा० उच्च न्यायालयों निर्गत आदेश - Order dated 18th Nov., 2015 from Hon'ble Supreme Court of India on SLP No. 691 of 2009 (AWBI vs People for Elimination of Stray Troubles & others) - Order dated 04th March, 2014 from Hon'ble Nainital High Court on PIL WP No 41 of 2013 (Gauri Maulekhi vs State of Uttarakhand & others)	
Reference -11B	मा० उच्च न्यायालयों द्वारा, पशु जन्म नियंत्रण (श्वानपशु) नियम, 2001 (Animals Birth Control (Dog) Rules, 2001 के आलोक में, पशु कल्याण संस्थाओं के प्रतिनिधियों/ पशुप्रेमियों द्वारा निराश्रित श्वानपशुओं के पशुपोषण हेतु स्थान एवं समय का निर्धारण किये जाने तथा रेजीडेन्ट वैलफेयर एसोसिएसन से विवाद के सामाधान के क्रम में निर्गत विभिन्न आदेश - Order dated 04-02-2010 from Hon'ble Delhi High Court on Crl. M.C. 1862/2009, W.P.(Crl.) Nos. 467/2009, 1101/2009, 1102/2009, 1103/2009, 1104/2009, 1105/2009, 1106/2009 and 1107/2009 - Order dated 10-05-2011 from Hon'ble Punjab-Haryana High Court on CRM No. M 13967 of 2010 (Ms Sonia Rogers vs State of Haryana And Another) - Order dated 12-07-2017 from Hon'ble Delhi High Court on LPA 301/2016 (Om Prakash Saini vs State Government of NCT Delhi & others)	
Reference-12	निराश्रित श्वानपशुओं के पशुपोषण हेतु स्थान एवं समय का निर्धारण किये जाने तथा रेजीडेन्ट वैलफेयर एसोसिएसन से विवाद के सामाधान हेतु, मा० उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड की मार्गदर्शिका (AWBI Guidelines for Pet Owners, Colony Care Takers/Dog Feeders & Resident Welfare Associations/ Apartment Owner's Associations	

मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल के आदेशों के अनुरुप पालतू श्वानपशुओं के अनिवार्य अनुज्ञाकर
आदर्श नियमावली के सृजन का प्रस्ताव :

मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा जनहित याचिका संख्या 84/17 (गिरीश चन्द्र खोलिया बनाम उत्तराखण्ड सरक
पर दिनांक 14 जून, 2018 को निर्गत अन्तरिम आदेश **(Reference-1)** के अनुपालन के क्रम में दिनांक 02 जुला
2018 को मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में आहूत बैठक के कार्यवृत **(Reference-2)** बिन्दु
संख्या–4 तथा मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन स्तर से निर्गत शासनादेश संख्या 560/XV-1/18/4(20)/2017
पशुपालन अनुभाग–1 दिनांक 17 जुलाई, 2018 **(Reference-3)** के अनुपालन के क्रम में, स्थानीय निकाय अधिनियमों
के तहत पालतू श्वानपशुओं के अनिवार्य अनुज्ञाकरण हेतु नियमावली (Rules for Licensing & Regulation of
Pedigreed Pet Dogs) का सृजन अपेक्षित है। इस क्रम में श्वानपशुओं से सम्बन्धित विभिन्न कानूनी प्राविधानों, मा०
उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली एवं मा० उच्च न्यायालयों द्वारा निर्गत विभिन्न मार्गदर्शी निर्णयों का सन्दर्भ (reference)
लेते हुए समग्रतापूर्ण अभिसरण (holistic convergence) का प्रयास करते हुए आदर्श नियमावली का आलेख
प्रस्तावित है। इस क्रम में दिनांक 08 फरवरी, 2019 को सचिव शहरी विकास, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में
आहूत प्रान्तीय श्वानपशु बन्ध्यकरण एवं अनुश्रवण समिति की बैठक के कार्यवृत्त **(Reference-4)** बिन्दु संख्या–5 एवं
दिनांक 04 सितम्बर, 2020 को सचिव शहरी विकास, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में आहूत प्रान्तीय श्वानपशु
बन्ध्यकरण एवं अनुश्रवण समिति की बैठक के कार्यवृत्त **(Reference-5)** बिन्दु संख्या–8 के आलोक

मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल के आदेशों के अनुरुप पालतू श्वानपशुओं के अनिवार्य अनुज्ञाकरण हेतु आदर्श नियमावली के सृजन का प्रस्ताव :

मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा जनहित याचिका संख्या 84/17 (गिरीश चन्द्र खोलिया बनाम उत्तराखण्ड सरकार) पर दिनांक 14 जून, 2018 को निर्गत अन्तरिम आदेश **(Reference-1)** के अनुपालन के क्रम में दिनांक 02 जुलाई 2018 को मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में आहूत बैठक के कार्यवृत **(Reference-2)** बिन्दु संख्या–4 तथा मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन स्तर से निर्गत शासनादेश संख्या 560/XV-1/18/4(20)/2017 पशुपालन अनुभाग–1 दिनांक 17 जुलाई, 2018 **(Reference-3)** के अनुपालन के क्रम में, स्थानीय निकाय अधिनियमों के तहत पालतू श्वानपशुओं के अनिवार्य अनुज्ञाकरण हेतु नियमावली (Rules for Licensing & Regulation of Pedigreed Pet Dogs) का सृजन अपेक्षित है। इस क्रम में श्वानपशुओं से सम्बन्धित विभिन्न कानूनी प्राविधानों, मा० उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली एवं मा० उच्च न्यायालयों द्वारा निर्गत विभिन्न मार्गदर्शी निर्णयों का सन्दर्भ (reference) लेते हुए समग्रतापूर्ण अभिसरण (holistic convergence) का प्रयास करते हुए आदर्श नियमावली का आलेख प्रस्तावित है। इस क्रम में दिनांक 08 फरवरी, 2019 को सचिव शहरी विकास, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में आहूत प्रान्तीय श्वानपशु बन्ध्यकरण एवं अनुश्रवण समिति की बैठक के कार्यवृत्त **(Reference-4)** बिन्दु संख्या–5 एवं दिनांक 04 सितम्बर, 2020 को सचिव शहरी विकास, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में आहूत प्रान्तीय श्वानपशु बन्ध्यकरण एवं अनुश्रवण समिति की बैठक के कार्यवृत्त **(Reference-5)** बिन्दु संख्या–8 के आलोक में निम्नानुसार प्रस्ताव प्रेषित है :–

उत्तरप्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (उत्तरप्रदेश अधिनियम, संख्या–2 1959) जोकि उत्तराखण्ड राज्यान्तर्गत अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002 के तहत प्रभावी है, की धारा–540(1) के तहत राज्य की नगर निगमों के पथ–प्रदर्शन (guidance) एवं क्रियान्वयन के निमित्त, मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल के आदेशों के अनुपालन में, निम्नानुसार राज्य के नगर निगमों के क्षेत्राधीन पालतू श्वानपशुओं के अनिवार्य अनुज्ञाकरण, नियंत्रण एवं विनियमन हेतु आदर्श नियमावली (Model Rules) का प्राख्यापन प्रस्तावित है :–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ –

(1.1) यह नियम, "पालतू श्वानपशुओं का अनुज्ञाकरण एवं नियंत्रण नियम, 2019" कहा जायेगा।

(1.2) यह नियम राजकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा।

(1.3) यह नियम राज्य के समस्त नगर निगमों के क्षेत्रों के भीतर प्रभावी होगा।

(1.4) इस नियम के प्राख्यापन से पूर्व, किसी विशेष नगर निगम द्वारा पूर्व में सृजित प्रचलित इस नियम के प्राख्यापन के उपरान्त निष्प्रभावी हो जायेगा।

2. परिभाषा –

(2.1) 'अधिनियम' : अधिनियम से तात्पर्य उत्तरप्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (उत्तरप्रदेश अधिनियम, संख्या–2 1959) से है, जोकि उत्तराखण्ड राज्यान्तर्गत अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002 के तहत प्रभावी है।

(2.2) 'नगर निगम' : नगर निगम से तात्पर्य उत्तराखण्ड राज्यान्तर्गत स्थापित नगर निगम से है।

(2.3) 'पालतू श्वानपशु' : पालतू श्वानपशु से तात्पर्य नस्लीय श्वानपशुओं (Pedigreed Pet Dogs) से है जिन्हे उत्तराखण्ड राज्यान्तर्गत की नगर निगमों की सीमा के भीतर निजी सुरक्षा हेतु अथवा श्वानपशु के प्रति रुचि/पशुप्रेम के उद्देश्य से पाला जाता है।

(2.4) 'निरीक्षण अधिकारी' : निरीक्षण अधिकारी से तात्पर्य नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत, नगर आयुक्त द्वारा प्राधिकृत पशुचिकित्सा अधिकारी से है।

(2.5) 'क्षेत्रीय पशुचिकित्सा अधिकारी' : क्षेत्रीय पशुचिकित्सा अधिकारी से तात्पर्य नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत राजकीय पशुचिकित्सालय पर नियुक्त पशुचिकित्सा अधिकारी से है।

(2.6) 'अनुज्ञापित व्यक्ति' : अनुज्ञापित व्यक्ति से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो कि, उत्तराखण्ड राज्य के नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत पालतू श्वानपशु का स्वामी हो तथा निजी सुरक्षा अथवा श्वानपशु के प्रति रुचि/पशुप्रेम के कारण श्वानपशु पाले जाने हेतु सक्षम प्राधिकारी से अनुज्ञा प्राप्त कर ली गई हो, इस क्रम में पालतूपशु दुकान (Pet Shop) तथा श्वानपशु प्रजनक (Dog Breeder) भी इन शर्तो के तहत सम्मिलित हैं कि, पालतूपशु दुकानस्वामी (Pet Shop Owner) तथा श्वानपशु प्रजनक (Dog Breeder) द्वारा केन्द्रीय अधिनियम–पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत प्राख्यापित के नियमों के तहत उत्तराखण्ड राज्य पशु कल्याण बोर्ड अन्तर्गत अनिवार्य रुप से पंजीकरण करा लिया गया हो।

(2.7) 'श्वानपशु प्रजनक' : श्वानपशु प्रजनक से तात्पर्य ऐसे श्वानपशुस्वामी से है जिसके द्वारा केन्द्रीय अधिनियम अन्तर्गत प्राख्यापित "पशु क्रूरता निवारण, श्वानपशु प्रजनन एवं विपणन नियम, 2017 (Prevention of Cruelty to Animals, Dog Breeding and Marketing Rules, 2017)" के तहत उत्तराखण्ड राज्य पशु कल्याण बोर्ड अन्तर्गत अनिवार्य पंजीकरण करा लिया गया हो **(Reference-6)**।

(2.8) 'पालतूपशु दुकान' : पालतूपशु दुकान से तात्पर्य ऐसे पालतूपशु दुकानस्वामी से है जिसके द्वारा केन्द्रीय अधिनियम अन्तर्गत प्राख्यापित "पशु क्रूरता निवारण, पालतूपशु दुकान नियम, 2018 (Prevention of Cruelty to Animals, Pet Shop Rules, 2018)" के तहत उत्तराखण्ड राज्य पशु कल्याण बोर्ड अन्तर्गत अनिवार्य पंजीकरण करा लिया गया हो **(Reference-7)**।

नगर आयुक्त
नगर निगम, काशीपुर

मेयर / महापौर
नगर निगम काशीपुर

(2.9) 'अनुज्ञा' : अनुज्ञा का तात्पर्य इस नियम के अधीन प्रदत्त अनुज्ञा से है।

(2.10) 'वर्ष' : वर्ष से तात्पर्य वित्तीय वर्ष से है।

(2.11) ऐसे शब्दों/पदों जो कि इस नियम में परिभाषित नहीं है किन्तु नियम/अधिनियम में प्रयुक्त हैं, उनका वही अर्थ होगा जोकि अधिनियम में दिया गया हो।

3. **प्रतिषेध** – कोई भी व्यक्ति उत्तराखण्ड राज्यान्तर्गत नगर निगम क्षेत्र में किसी भी भवन/स्थान पर अपने निजी सुरक्षा हेतु अथवा अपनी श्वानपशु के प्रति रुचि/पशुप्रेम के वजह से नहीं पालने देगा जबतक की उस व्यक्ति के द्वारा नगर निगम से पालतू श्वानपशु पालन हेतु अनुज्ञा न प्राप्त कर ली गई हो।

4. **अनुज्ञा एवं अनुज्ञा की अवधि** – सम्बन्धित नगर निगम अन्तर्गत प्राधिकृत निरीक्षण अधिकारी द्वारा अनुज्ञा की शर्तो के पूर्ण होने की दशा में वित्तीय वर्ष की अवधि हेतु अनुज्ञा दी जा सकेगी किन्तु कभी भी अनुज्ञा की शर्तो का उल्लघंन किये जाने पर निर्गत अनुज्ञा निलम्बित की जा सकेगी अथवा निरस्त की जा सकेगी।

5. **अनुज्ञा की शर्तें** –

(5.1) प्रत्येक श्वानपशुस्वामी द्वारा श्वानपशु प्राप्त करने/क्रय करने के 15 दिनों के भीतर अपने पालतू श्वानपशु को नगर निगम अन्तर्गत अनुज्ञाकरण हेतु 'प्ररुप–1' के अनुरुप आवेदन करना आवश्यक होगा।

(5.2) निर्गत अनुज्ञा वित्तीय वर्ष के अन्त तक विधिमान्य होगी। श्वानपशुस्वामी द्वारा अपने श्वानपशु का प्रत्येक वर्ष, यथासमय अनिवार्य कृमिरोधीदवापान (De-worming) के उपरान्त अनिवार्य रैबीजरोधी टीकाकरण (Anti Rabies Vaccination) के उपरान्त, अप्रैल माह में अपने पालतू श्वानपशु के अनुज्ञा के नवीनीकरण हेतु आवेदन करना आवश्यक होगा।

(5.3) श्वानपशुस्वामी द्वारा अपने पालतू श्वानपशु को सार्वजनिक स्थानों पर सड़को, गलियों एवं पार्क अथवा किसी भी स्थान के आस–पास खुला नहीं छोड़ा जायेगा।

(5.4) श्वानपशुस्वामी द्वारा अपने श्वानपशु का उचित भरण–पोषण, देखभाल, आवासीय प्रबन्धन, रोगरोधी टीकाकरण एवं कृमिरोधीदवापान, कृमिरोधीदवास्नान एवं बीमारी की दशा में उचित निदान एवं उपचार कराया जायेगा। श्वानगृह/श्वानपशु को रखेजाने का स्थान को स्वच्छ रखा जायेगा तथा उस स्थान की प्रतिदिन भली प्रकार से धुलाई और कीटनाशको का छिड़काव किया जायेगा।

(5.5) श्वानपशुस्वामी द्वारा अपने पालतू श्वानपशु के अनिवार्य अनुज्ञाकरण हेतु, सम्बन्धित नगर निगम के पक्ष में, नगर निकाय द्वारा निर्धारित अनुज्ञा शुल्क का भुगतान करते हुए, अनुज्ञा/ पुनर्नवीनीकरण हेतु आवेदन किया जायेगा।

(5.6) श्वानपशुस्वामी द्वारा अनुज्ञा / अनुज्ञा के पुनर्नवीनीकरण हेतु आवेदन के समय, राजकीय पशुचिकित्सालय के क्षेत्रीय पशुचिकित्सा अधिकारी द्वारा सत्यापित अभिलेखों सहित आवेदन हेतु आवेदन प्रकरण प्रस्तुत करना होगा। सत्यापित अभिलेखों में सम्बन्धित पालतूश्वानपशु की त्रिआयामी फोटोग्राफ्स (Three Side Photographs), व्यक्तिगत पहचान, नगर निगम द्वारा पूर्व में आबंटित टोकन नम्बर, रंग, आयु, नस्ल, माइक्रोचिप संख्या (यथास्थिति उपलब्धतानुरुप), कृमिरोधी दवापान अभिलेख, रोगरोधी टीकाकरण अभिलेख, चिकित्सा अभिलेख तथा अन्य निजी देखभाल (Grooming Details) के अभिलेख सम्मिलित होंगे। श्वानपशुस्वामी के श्वानपशु प्रजनक (Dog Breeder) अथवा पालतूपशु दुकानस्वामी (Petshop Owner) होने की दशा में सम्बन्धित पशुस्वामी द्वारा वे सभी अभिलेख संरक्षित रखे जायेंगे जो कि, केन्द्रीय अधिनियम के तहत प्राख्यापित "पशु क्रूरता निवारण, श्वानपशु प्रजनन एवं विपणन नियम, 2017 (Prevention of Cruelty to Animals, Dog Breeding and

नगर आयुक्त
नगर निगम, काशीपुर

Marketing Rules, 2017)" अथवा "पशु क्रूरता निवारण, पालतूपशु दुकान नियम, 2018 (Prevention of Cruelty to Animals, Pet Shop Rules, 2018)" में प्राविधानित है। निरीक्षण अधिकारी द्वारा अभिलेखों के परीक्षण उपरान्त, गुण–दोष के अनुसार प्रत्येक प्रकरण में 'प्ररुप–2' के अनुरुप, अनुज्ञाकरण प्रमाणपत्र निर्गत किये जाने अथवा न किये जाने हेतु संस्तुति की जायेगी। जिसे नगर आयुक्त स्तर से स्वीकृत किया जायेगा।

(5.7) नगर निगम द्वारा अनुज्ञा प्रदत्त पालतूश्वानपशुओं का 'प्ररुप–3' के अनुरुप अभिलेखीकरण किया जायेगा।

(5.8) नगर निगम द्वारा निर्गत अनुज्ञा प्रमाणपत्र अहस्तान्तरणीय होगा। यदि किन्ही परिस्थितियों में श्वानपशुओं की मृत्यु हो जाती है अथवा श्वानपशु को किसी दूसरे घर में स्थानान्तरित कर दिया जाता है, इस दशा में श्वानपशुस्वामी द्वारा 15 दिनों के भीतर इसकी सूचना नगर आयुक्त, नगर निगम को देना आवश्यक होगा। नवीन पशुस्वामीस्वामी द्वारा, अनुज्ञाकरण हेतु पुनः आवेदन करना होगा।

(5.9) केवल श्वानपशु प्रजनक द्वारा ही श्वानपशु प्रजनन कराया जाना अपेक्षित है। किसी भी दशा में श्वानपशुस्वामी द्वारा अपने श्वानपशुओं को घर से निस्कासित (abandon) कर शहरी क्षेत्र में निराश्रित श्वानपशुओं की संख्या में अवांछित बृद्धि नहीं की जायेगी।

(5.10) श्वानपशुस्वामी द्वारा अनिवार्य रुप से अपने श्वानपशु का नियमित रैबीजरोधी टीकाकरण (Regular Anti Rabies Vavccination) कराया जायेगा।

(5.11) श्वानपशुस्वामी द्वारा आक्रामक व्यवहार वाले श्वानपशुओं (aggressive dogs) को सार्वजनिक स्थान पर घुमाये जाने पर, श्वानपशु की गर्दन के कॉलर को सुरक्षित प्रकार से मजबूत पट्टे के बन्धन (Sturdy Tether fitted on Neck Collar) एवं मुखबन्ध (Muzzel) में रखा जायेगा।

(5.12) श्वानपशुस्वामी द्वारा श्वानपशु को खुले में घुमाते समय सड़क पर शौच (defication on road) नहीं कराया जायेगा।

6. **निरीक्षण का अधिकार** – नगर आयुक्त द्वारा प्राधिकृत निरीक्षण अधिकारी द्वारा समय–समय पर पालतू श्वानपशुओं का कभी भी निरीक्षण किया जा सकता है।

7. **अनुज्ञा शुल्क, विलम्ब शुल्क, अनुज्ञा की अवधि एवं शुल्क की दरों का पुनर्निर्धारण** – श्वानपशुस्वामी द्वारा प्रत्येक श्वानपशु की अनुज्ञा हेतु सम्बन्धित नगर निगम के पक्ष में, ₹ 200/- का शुल्क जमा किया जायेगा। यह शुल्क एक वर्ष की अवधि अथवा वित्तीय वर्ष के 31 मार्च (जो भी पहले हो) तक प्रभावी होगा। श्वानपशुस्वामी द्वारा श्वानपशु की अनुज्ञा हेतु यथासमय आवेदन न किये जाने की दशा में ₹ 50/- प्रतिमाह की दर से विलम्ब शुल्क जमा किया जायेगा। सम्बन्धित नगर निगम के बोर्ड द्वारा समय–समय पर अनुज्ञा शुल्क तथा विलम्ब शुल्क की दरों का पुनर्निर्धारण किया जायेगा।

8. **अनुज्ञा प्रदत्त श्वानपशु हेतु पहचान चिन्ह टोकन** – अनुज्ञा निर्गत किये जाने हेतु प्राधिकृत अधिकारी द्वारा श्वानपशुस्वामी को प्रत्येक अनुज्ञा के साथ 'पहचान चिन्ह टोकन' निर्गत किया जायेगा जो कि पशुस्वामी द्वारा भली प्रकार से सुरक्षित रखा जायेगा तथा यथासम्भव द्वारा इस टोकन को पालतू श्वानपशु के गले में पट्टे में बांध कर रखा जायेगा।

9. **अनुज्ञाहीन तथा परित्यक्त श्वानपशुओं का जब्तीकरण, बन्ध्यकरण, रैबीजरोधी टीकाकरण एवं निस्तारण** – श्वानपशुस्वामी द्वारा श्वानपशु के प्रति लापरवाही बरते जाने अथवा श्वानपशु को सार्वजनिक स्थानों पर आवारा छोडे जाने की दशा में, कभी भी नगर निगम द्वारा आवारा श्वानपशुओं को जब्त किया जा सकता है अथवा इसे ए०बी०सी० कार्यक्रम के तहत बन्ध्यकरण शल्यचिकित्सा उपरान्त इयरनॉचिंग एवं रैबीजरोधी टीकाकरण किया जा

नगर आयुक्त
नगर निगम, काशीपुर

मेयर / महापौर
नगर निगम काशीपुर
ऊधम सिंह नगर

समयावधि का निर्धारण किया जायेगा। निर्धारित स्थान एवं समयावधि में ही, सामुदायिक श्वानपशुओं को भोजन दिये जाने की अनुमति (Permission for Community Dog Feeding) होगी **(Reference-11)**। इस क्रम में भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड द्वारा दिनांक 26 फरवरी, 2015 को निर्गत मार्गदर्शिका (AWBI Guidelines for Pet Owners, Colony Care Takers/Dog Feeders & Resident Welfare Associations/ Apartment Owner's Associations) का अनुपालन किया जाना अपेक्षित होगा **(Reference-12)**।

15. **श्वानपशुओं द्वारा काटे जाने के प्रकरणों का समाधान** – पशुकल्याण संस्थाओं के माध्यम से, विधिमान्य रीति के अनुरुप श्वानपशुओं द्वारा काटे जाने के प्रकरणों के समाधान हेतु (Management of Dog Bite Cases through Animal Welfare Organization), नगर निकाय बोर्ड द्वारा दरों का निर्धारण किया जायेगा **(Reference-1)**।

16. **निराश्रित एवं केस प्रापर्टी श्वानपशुओं हेतु निःशुल्क अनुज्ञाकरण** – मान्यताप्रदत्त पशुकल्याण संस्थाओं/ जिला अधिकारी की अध्यक्षता में गठित जनपदीय पशु क्रूरता निवारण समिति (District SPCA) के माध्यम से, निराश्रित एवं केस प्रापर्टी श्वानपशुओं को शरण दिये जाने अथवा गोद दिये जाने की स्थिति में, श्वानपशुओं का निःशुल्क अनुज्ञाकरण किया जायेगा **(Reference-1)**।

17. **निराश्रित एवं केस प्रापर्टी श्वानपशुओं को गोद दिये जाने के क्रम में प्रक्रिया** – निराश्रित एवं केस प्रापर्टी श्वानपशुओं को शरण दिये जाने अथवा गोद लिये जाने की स्थिति में, "पशु क्रूरता निवारण, केस विषयक पशुओं की देख–रेख एवं भरण–पोषण नियम, 2017 (Prevention of Cruelty to Animals, Care & Maintenance of Case Property Animals Rules, 2017)" के नियम–9 में वर्णित प्रक्रिया अपनायी जायेगी **(Reference- 8)**।

18. **पालतू श्वानपशुओं हेतु श्वानपशु बन्ध्यकरणशल्यचिकित्सा एवं रैबीजरोधी टीकाकरण हेतु दरों का निर्धारण** – श्वानपशुस्वामी द्वारा अनावश्यक रुप से श्वानपशुओं का प्रजनन नहीं कराया जायेगा अपितु यथासम्भव छः माह की आयु के उपरान्त अपने श्वानपशु का बन्ध्यकरण शल्यचिकित्सा करा ली जायेगी। इस सम्बन्ध में नगर निकाय अन्तर्गत बृहद स्तर पर श्वानपशु बन्ध्यकरणशल्यचिकित्सा–रैबीजरोधी टीकाकरण कार्यक्रम (Animal Birth Control-Anti Rabies Vaccination Program) संचालित किये जाने पर, पालतू श्वानपशुस्वामियों को श्वानपशु बन्ध्यकरणशल्यचिकित्सा एवं रैबीजरोधी टीकाकरण की सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु, दरों का निर्धारण के क्रम में नगर निगम के बोर्ड द्वारा निर्णय लिया जायेगा **(Reference-5)**।

19. **गोद दिये गये श्वानपशुओं हेतु निःशुल्क श्वानपशु बन्ध्यकरणशल्यचिकित्सा एवं रैबीजरोधी टीकाकरण** – मान्यताप्रदत्त पशुकल्याण संस्थाओं/ जिला अधिकारी की अध्यक्षता में गठित जनपदीय पशु क्रूरता निवारण समिति (District SPCA) के माध्यम से, निराश्रित एवं केस प्रापर्टी श्वानपशुओं को शरण दिये जाने अथवा गोद लिये जाने की स्थिति में, श्वानपशुओं हेतु निःशुल्क बन्ध्यकरणशल्यचिकित्सा–रैबीजरोधी टीकाकरण किया जायेगा **(Reference-1)**।

नगर आयुक्त
नगर निगम, काशीपुर

मेयर / महापौर
नगर निगम काशीपुर
ऊधम सिंह नगर

Fax No. 05947-260398
E-Mail ID-nagarnigamkashipur@gmail.com

12– निजी सम्पत्ति पर व्यक्ति/संस्था द्वारा पार्किंग संचालन हेतु नगर निगम में कर–विभाग के दुकान किराया अनुभाग में शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा। जिस हेतु निम्न शुल्क देय होगा :–

01– चार पहिया कार हेतु :–

(01 से 25 तक वाहन खड़े होने पर)	रू0 2000/– प्रतिमाह
26 से 50 तक वाहन खड़े होने पर	रू0 4000/– प्रतिमाह
51 से 75 तक वाहन खड़े होने पर	रू0 6000/– प्रतिमाह
76 से 100 तक वाहन खड़े होने पर	रू0 8000/– प्रतिमाह
101 से अधिक वाहन खड़े होने पर	रू0 10000/– प्रतिमाह

02– दो पहिया वाहन हेतु :–

(01 से 25 तक वाहन खड़े होने पर)	रू0 5000/– प्रतिमाह
26 से 50 तक वाहन खड़े होने पर	रू0 7000/– प्रतिमाह
51 से 75 तक वाहन खड़े होने पर	रू0 9000/– प्रतिमाह
76 से 100 तक वाहन खड़े होने पर	रू0 11000/– प्रतिमाह
101 से अधिक वाहन खड़े होने पर	रू0 13000/– प्रतिमाह

03– ट्रक/बस (सभी प्रकार के भारी वाहन) हेतु :–

(01 से 25 तक वाहन खड़े होने पर)	रू0 4000/– प्रतिमाह
26 से 50 तक वाहन खड़े होने पर	रू0 10000/– प्रतिमाह
51 से 75 तक वाहन खड़े होने पर	रू0 15000/– प्रतिमाह
76 से 100 तक वाहन खड़े होने पर	रू0 25000/– प्रतिमाह
101 से अधिक वाहन खड़े होने पर	रू0 50000/– प्रतिमाह

13– नियम–12 में निर्धारित शुल्क का 25 प्रतिशत जमा करने के उपरान्त ही लाईसेन्स देय होगा।

14– नियम–12 के उपनियम (1,2,3) में अंकित शुल्क में प्रतिवर्ष 15 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।

15– उपविधि द्वारा लिए जाने वाले शुल्क की धनराशि पूर्णांक में नहीं होने पर निकटतम अधिकतम पूर्णांक के रूप में गणना की जायेगी।

16– स्व–निर्धारण प्रपत्र द्वारा लिया जाने वाला व्यवसायिक कर एवं पार्किंग शुल्क दोनों देय होंगे।

17– निजी सम्पत्ति पर संचालित होने वाली पार्किंग का स्व–निर्धारण प्रपत्र द्वारा लिये जाने वाला कर पार्किंग स्वामी द्वारा देय होगा तथा नियम–12 के उपनियम–(1,2,3) के द्वारा लिये जाने वाला शुल्क पार्किंग संचालक(ठेकेदार) द्वारा संचालित पार्किंग पर लिया जायेगा।

18– सम्पत्ति मालिक और पार्किंग संचालक एक ही होने की दशा में व्यवसायिक कर व पार्किंग शुल्क सम्पत्ति मालिक द्वारा देय होंगे।

पार्किंग लगाये जाने हेतु उपरोक्त शर्तों में से किसी एक शर्त का भी उल्लंघन करने पर पार्किंग लगाये जाने वाले व्यक्ति/संस्था पर 25,000/– तक का अर्थदण्ड लगाया जा सकता है। आरोपित शर्तों का तीन बार से अधिक उल्लंघन करने पर अनुज्ञप्ति निरस्त की जायेगी। अर्थदण्ड को यदि व्यक्ति/संस्था द्वारा निगम कोष में नहीं जमा किया जाता है, तो भू–राजस्व की भांति वसूला जायेगा।

स्थान :–
दिनांक :–

20.12.23
(विवेक राय)
नगर आयुक्त
नगर निगम, काशीपुर
नगर आयुक्त
नगर निगम, काशीपुर

20-02-23
(ऊषा चौधरी)
महापौर
नगर निगम, काशीपुर
मेयर / महापौर
नगर निगम काशीपुर
ऊधम सिंह नगर